

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 1984/ज्येष्ठ 21, 1906
No. 205] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 1984/JYAISTHA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

"Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation"

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1984

अधिसूचना

सं. 144/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 442(श) :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के
उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 201/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 जून, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, छठे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“परन्तुक यह और भी कि इस अधिसूचना की कोई बात, उक्त पहली अनुसूची की मद सं. 38 के अंतर्गत आने वाले उक्त माल को लागू नहीं होगी।”।

[फा. सं. 261/38/4/84-के उ.शू.-8]

शोभा वेकटनरसिमहन्, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 11th June, 1984

NOTIFICATION

No. 144/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 201/79-Central Excises, dated the 4th June, 1979, namely :—

In the said notification, for the sixth proviso, the following shall be substituted :—

“Provided also that nothing contained in this notification shall apply to the said goods falling under Item No. 38 of the said First Schedule.”.

[F. No. 261/38/84-CX-8]

SHOBHA VENKATANARASIMHAN, Under Secy.